पूर्व राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल का भाषण

22 जनवरी 1990

विधानसभा के इस सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे यह कहते हुए संतोष है कि इस वर्ष मेरी सरकार ने प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिये कई दिशाओं में सार्थक पहल की है तथा आम लोगों को राहत देने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं। इस वर्ष कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरे प्रदेश में आमतौर पर संतोषजनक रही है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि पिछले नवम्बर के महीने में लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न हुये।

मेरी सरकार किसानों और मेहनतकशों के कल्याण के लिये विशेष रूप से चिंतित और प्रयत्नशील रही है। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था का दारोमदार किसानों के ऊपर है। इसलिये सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि विपि  के समय किसानों की हर प्रकार से सहायता करें उन्हें अपनी पैदावार बढ़ाने के लिये सिंचाई की तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये और भूमि पर उसके अधिकार की पूरी प्रतिबद्घता से रक्षा करें। पिछले पाँच (5) सालों में हमारे किसानों को लगातार कहीं न कहीं सूखे का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा ओला पला और इल्ली जैसी कुदरती मुसीबतों को झेलना पड़ा है। इस साल भी सोलह (16) जिले सूखे की चपेट में हैं। इन कुदरती मुसीबतों के कारण किसानों की अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगा है। इससे उभरने में उन्हें सहायता देने के लिये सरकार ने फैसला किया है कि पिछले तीन (3) सालों के दौरान किसी भी साल जिन किसानों का सूखे ओले पाले और इल्ली जैसी प्राकृतिक विपदा झोलनी पड़ी है उन सभी के उत्पादन ऋण और उन पर लगने वाला ब्याज माफ कर दिया जाये। इस तरह से प्रदेश के लगभग दस लाख (10,00,000) किसानों को करीब तील सौ बीस करोड़ (3,20,00,00,000) रूपयों की छूट मिलेगी। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों पर लगे सभी तरह के दण्ड ब्याज उनसे वसूल न किये जायें और इसकी भरपाई सरकार करेगी।